आयुक्तालय, केंद्रीय माल व सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
मुंबई मध्य का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL EXCISE,
MUMBAI CENTRAL,
जीएसटी भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 400 020
GST BUILDING, M. K. ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI- 400 020

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती सीमा शर्मा,
सहायक निदेशक (राजभाषा) सह निरीक्षण अधिकारी,
सीमा शुल्क आयुक्तालय, पुणे

विषयः निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली के निर्देशों के अंतर्गत आवंटित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, मुंबई मध्य के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण वर्ष 2025-26 की समीक्षा रिपोर्ट पर अनुपालन रिपोर्ट - संबंधित ।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली के पत्र संख्या DGPM/HIND/7/2/2025-Hindi-O/o DG-DGPM-Hqrs-Delhi 1/3033233/2025 दिनांक 19.6.2025 के अनुपालन में दिनांक 13.11.2025 तथा 14.11.2025 को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, मुंबई मध्य का राजभाषा विषयक निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2025 को प्राप्त हुई है । संदर्भित निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, मुंबई मध्य द्वारा अनुपालन रिपोर्ट मद संख्यानुसार निम्न वर्णित है :-

मद सं. 1: हिंदी शिक्षण योजना में प्रशिक्षण अधिकारी की उपलब्धता होने पर हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भाषा प्रशिक्षण पारंगत के लिए यथासंभव नामित किया जाएगा । हिंदी में कार्य करने हेतु शत-प्रतिशत प्रवीणता प्राप्त करवाने के प्रयास किए जाएंगे ।

मद सं. 2: हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा रहा है इसके अनुपालन में चालू वितीय वर्ष में भी प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएँ भी लागू की गई हैं एवं अधिकारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा रहे हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यसूची में इस मद के अनुपालन को शामिल किया जाएगा।

मद स. 3: अप्रशिक्षित शेष आशुलिपिकों /टंकक लिपिकों और कर सहायकों को क्रमवार हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने का प्रयास किया जाएगा ।

मद सं. 4: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी जारी किये जाने के प्रयास निरंतर हैं । इस मद पर प्राप्त आपकी सराहना के लिए आयुक्तालय आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है ।

मद सं. 6: आयुक्तालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृद्धि किए जाने के प्रयासों पर नियमित चर्चा की जाती है । राजभाषा क्षेत्र ख के अंतर्गत पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यालय प्रयासरत है । निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट की अन्य मदों में निर्देशित शत प्रतिशत कार्य हिंदी में किए जाने संबंधी व्यक्तिशः आदेश कार्यालय के सक्षम अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं ।

मद सं. 07. इस मद पर प्राप्त आपकी सराहना के लिए आयुक्तालय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है । कार्यालय आगामी तिमाहियों में भी प्राप्त लक्ष्य से अधिक कार्य करने के प्रयास जारी रखेगा ।

मद सं.08 इस मद पर प्राप्त आपकी प्रशंसा के लिए आयुक्तालय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है । कार्यालय के सभी कम्प्यूटर्स पर द्विभाषी सुविधा उपलब्धता पर जांच बिन्दु निगरानी रखता है ।

मद सं.09 कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

मद सं.10 कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।

मद सं.11 सभी अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुपालन में संबन्धित मण्डल प्रभारी निष्पादित किए जाते हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सम्मानित सदस्यों के रूप में सभी मण्डल प्रभारी मुख्यालय में आयोजित नियमित तिमाही बैठकों में उपस्थित होते हैं । राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था सुचारु रूप से जारी है ।

मद सं.13 कार्यालय के अधिकारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के तहत अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिश आदेश जारी किये जा रहे हैं । हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमबद्ध तरीके से भाषा प्रशिक्षण पारंगत दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है । वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आयुक्तालय के 30% अनुभागों को हिंदी में कार्य करने के लिए आगामी राजभाषा कैलेंडर वर्ष 2026 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

मद सं.14 कार्यालय प्रमुख की ओर से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारी अनुभागों और मण्डल प्रभारियों के सतत संपर्क में रहते हैं । आयुक्तालय में राजभाषा कार्यान्वयन विषयक निरीक्षण कार्यप्रणाली का हिस्सा है । नियमतः कार्यालय के अधीनस्थ न्यूनतम 25% कार्यालयों का निरीक्षण आगामी राजभाषा कैलेंडर वर्ष 2026 में कार्ययोजित किया जाएगा ।

मद सं.16 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में कार्यालय में पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया जारी है जैसा की निरीक्षण अधिकारी को सौंपी गई निरीक्षण प्रश्नावली में भी दर्शाया गया है ।

मद सं.18 इस मद पर प्राप्त आपकी सराहना के लिए आयुक्तालय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है । राजभाषा विभाग द्वारा लागू हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी ।

मद सं.20 तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट निरीक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली को यथासमय प्रेषित की जा रही है । इस मद पर प्राप्त आपकी सराहना के लिए आयुक्तालय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है ।

मद सं.22 सेवा पुस्तिकाएं, जिनके शीर्षक तथा शीर्ष नाम द्विभाषी नहीं हैं उन्हें चिन्हित करते हुए इस मद में दिए गए निर्देशों पर अनुपालन जारी है एवं चालू तिमाही के अंत तक ये अनुपालन पूर्ण कर लिए जाएंगे । पंजिकाओं और सेवापुस्तिकाओं में प्रविष्टियों को हिंदी में किए जाने पर बल दिया जा रहा है ।

मद सं.24 इस मद पर प्राप्त आपकी सराहना के लिए आयुक्तालय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है । राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय में आयोजित सभी शासकीय कार्यक्रम और आयोजन पर लागू होता है ।

निरीक्षण अधिकारी सह सहायक निदेशक (रा.भा.) और निरीक्षित कार्यालय के अपर आयुक्त (राजभाषा) के मध्य चर्चा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं उन पर जारी निर्देशों पर भी आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है । निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट पर आपके द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करने के लिए आयुक्तालय आपका आभार प्रकट करता है ।

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली के निर्देशों के अंतर्गत आवंटित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, मुंबई मध्य के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण वर्ष 2025-26 की समीक्षा रिपोर्ट पर मदवार अनुपालन रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

यह आयुक्त, सीजीएसटी & सीएक्स आयुक्तालय, मुंबई मध्य के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

24.12.25

मनमोहन धीर

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त निदेशक, निष्पादन प्रबंधन निदेशालय, ड्रम शेप भवन, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002
2. सहायक निदेशक, निष्पादन प्रबंधन निदेशालय, ड्रम शेप भवन, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002
3. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, मुंबई क्षेत्र का कार्यालय ,एमके मार्ग, मुंबई 400020 को सूचनार्थ ।